



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270629
CG-DL-E-03032026-270629

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1072]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947

No. 1072]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

सं. 60/2025-26 दिनांक 23.02.2026

विषय: आरओडीटीईपी दरों के युक्तिकरण से संबंधित शुद्धिपत्र।

का.आ. 1124(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनिमयन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि अधिसूचना संख्या 60/2025-26 दिनांक 23.02.2026 के अंतर्गत आरओडीटीईपी स्कीम के लिए अधिसूचित कम दरें और मूल्य सीमाएं आइटीसी एचएस अध्याय 01 से 24 के अन्तर्गत आने वाले निर्यात उत्पादों पर लागू नहीं होगी।

2. उक्त अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

अधिसूचना का प्रभाव: अधिसूचना संख्या 60 दिनांक 23.02.2026 के तहत अधिसूचित आरओडीटीईपी लाभों की कम दरें और मूल्य सीमाएं आइटीसी एचएस अध्याय 01 से 24 के अन्तर्गत आने वाले निर्यात उत्पादों पर लागू नहीं होगी।

इसे माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/94/180/019/एम26/पीसी-4]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

No. 60 /2025–26 dated 23.02.2026

Subject: Corrigendum on Rationalisation of RoDTEP rates - reg.

S.O. 1124(E). —In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies that the reduced rates and value caps notified for the RoDTEP Scheme under Notification No. 60/2025-26 dated 23.02.2026 would not be applicable to the export falling under ITC HS Chapter 01 to 24.

2. All other provisions of the said Notification shall remain unchanged.

Effect of the Notification: The reduced rates and value caps of RoDTEP benefits notified under Notification No 60 dated 23.02.2026 are not applicable for the export products falling under ITC HS Chapter 01 to 24.

This is issued with the approval of the Hon'ble Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/94/180/019/AM26/PC-4]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.